

2

टी०ए० मिस केस सं० 278/2018-19

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सुरेन्द्र बानरा, पिता-र० शंकर बानरा निवासी ग्राम-टोन्टो(मुन्डासाई), थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-टोन्टो थाना नं०- 650के अन्दर खाता नं०- 47प्लॉट नं०- 1879, रकवा- 0.07½ डि० भूमि क्रेता चरण सिंह बानरा ,पिता-छोटा कुजरी बानरा,ग्राम- बड़ाचिरु थाना- मुफसिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-108 दिनांक- 6.2.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि हल बेल खरीदने एवं मकान मरम्मत करने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता चरण सिंह बानरा ,पिता-छोटा कुजरी बानरा,ग्राम- बड़ाचिरु थाना- मुफसिल के पास 1,20,000.00/- (एक लाख बीस हजार) में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता सुरेन्द्र बानरा, पिता-र० शंकर बानरा निवासी ग्राम- टोन्टो(मुन्डासाई) थाना- मुफसिल, क्रेता चरण सिंह बानरा ,पिता-छोटा कुजरी बानरा,ग्राम- बड़ाचिरु थाना- मुफसिल के पास जमीन को कुल 1,20,000.00/- (एक लाख बीस हजार) में मौजा- टोन्टो थाना नं०- 650के अन्दर खाता नं०- 47प्लॉट नं०- 1879, रकवा- 0.07½ डि० जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा